

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

दूरभाष-0141-2740239, फेक्स-0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-III/533

जयपुर दिनांक :- 10.05.2021

आदेश संख्या: 387/2021-22

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 05 में अंकित कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	5873	सुनील कुमार जैन, स.ले.अ. ग्रेड- II	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, अजमेर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, केकड़ी (अजमेर)	रिक्त पद पर
2.	10667	मोनू पायक, कनिष्ठ लेखाकार	अधिकांशी अभियंता, परियोजना खण्ड, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, केकड़ी (अजमेर)	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, केकड़ी (अजमेर)	रिक्त पद पर
	12660	ब्रजेश कुमार वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार	अधीक्षण अभियंता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, वृत्त, टोंक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, केकड़ी (अजमेर)	रिक्त पद पर

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में लोक हित में जारी किये जाते हैं।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-III/533

जयपुर दिनांक :- 10.05.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
- संबंधित कोषाधिकारी
- श्री..... कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय..... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवपदस्थापन कार्यालय में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फेक्स अथवा विभागीय ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/II) कार्यालय हाजा।
- उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट/पीआईएस कॉईन्स पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)